267

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :– प.3(28)नविवि/3/96 पार्ट

दिनांक 20.06.2007

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा राज्य में नई होटल नीति–2006 लागू की जा चुकी है। इस संबंध में इस विभाग द्वारा जारी सम संख्यक परिपत्र दिनांक 25.07.2006 एव. 19.02.2007 के क्रम में उक्त नीति के अन्तर्गत नये बजट होटल (1,2,3 सितारा होटल), के लिए राजस्थान विनिवेश नीति योजना, 2003 के तहत् दी गई छूट से अलग विशिष्ट छूट के तहत् भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उक्त प्रयाजन हेतु नये बजट होटल (1,2,3 सितारा श्रेणी) के भूमि रूपान्तरण के मामलों में देय रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह छूट मार्च 2010 तक देय होगी।

उक्त प्रयोजन हेतु आवेदन के लिए पात्रता एवं अन्य शर्ते नई होटल नीति राजस्थान–2006 में वर्णित अनुसार होगी।

प्रमुख शासन सचिव